GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *203
TO BE ANSWERED ON 15.03.2021

Utilisation of CAMPA fund for activities other than afforestation

*203. SHRI ANIL BALUNI:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether funds for Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) are being used by States for other activities as well apart from afforestation, if so, the details thereof; and
(b) whether the budget of Forest Department of States has been decreased due to the allocation of CAMPA funds, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR)

(a) & (b) A statement is laid on the table of the House.

***

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) & (b) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 203 ASKED BY SHRI ANIL BALUNI REGARDING 'UTILISATION OF CAMPA FUND FOR ACTIVITIES OTHER THAN AFFORESTATION' DUE FOR REPLY ON 15.03.2021

(a) The respective State Authorities constituted under the Compensatory Afforestation Fund (CAF) Act, 2016 prepare the Annual Plan of Operations (APOs) for the utilization of their State Funds established under the CAF Act. The APOs are prepared as per the provisions of the CAF Act and the Rules made thereunder. Rule 5 (2), (3) and (4) and Rule 6 (a) and (b) of CAF Rules, 2018 provide for permissible and non-permissible activities. Accordingly, the State CAMPA Funds are utilized primarily for regeneration and protection of forests and plantations, silivicultural operations in forests, forest fire prevention and control, soil and moisture conservation in forest, improvement of wildlife habitat, etc., besides strengthening of forest and wildlife related infrastructure, capacity building of related personnel, recurring/non-recurring expenses of State Authority. Non-permissible activities are also listed under the CAF Rules, 2018 and include expenses of payments of salaries and allowances, purchase of vehicles or staff cars for officers of State Forest Departments, construction of residential and official buildings for officers above the Forest Ranger Officers, undertaking foreign visits, payment of legal services not related to the management of State Authority, etc.

In addition to above statutory provisions and as the spirit of the Compensatory Afforestation (CAF) Act, 2016 is to make up for the loss of trees, forest land, wildlife and ecological services, in the successive meetings of State Forest Ministers on 29.08.2019, 30.11.2019 and 17.08.2020 and in the advisory issued to all States/UTs through DO No. NA-1/47/2020-NA dated 22.10.2020, it has been emphasized that 80% of State Fund should be used for activities related to development of forest and wildlife and only the remaining 20% should be utilized for strengthening of forest and wildlife related infrastructures and capacity building.

(b) As per the report received till 12.03.2021 from 33 State Authorities constituted in State/UTs so far, the State/UT Plan budget of the Forest Department has not reduced due to allocation under Compensatory Afforestation Fund. However, the allocation under the State Plan budget (excluding allocation under CAF) isless in the current financial year (2020-21) in some states while it is more in other states as compared to the last year (2019-20).The details areattached at **Annexure**.

***

Annexure

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY OF PART (b) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 203 ASKED BY SHRI ANIL BALUNI REGARDING 'UTILISATION OF CAMPA FUND FOR ACTIVITIES OTHER THAN AFFORESTATION' DUE FOR REPLY ON 15.03.2021.

₹ in crore

S. No.	State Authority	State Plan Budget (excluding CAMPA budget)	
		2019-20	2020-2021
1.	Andaman & Nicobar Islands*	-	-
2.	Andhra Pradesh	129.86	78.60
3.	Arunachal Pradesh	14.84	6.27
4.	Assam	188.51	186.16
5.	Bihar	643.87	450.00
6.	Chandigarh*	-	-
7.	Chhattisgarh	855.16	921.29
8.	Dadra & Nagar Haveli** Daman & Diu	39.17	36.10
9.	Delhi	71.00	48.71
10.	Goa**	102.95	137.24
11.	Gujarat**	1374.60	1148.46
12.	Haryana	135.40	145.77
13.	Himachal Pradesh	158.45	255.46
14.	Jammu & Kashmir*	-	-
15.	Jharkhand	453.31	371.00
16.	Karnataka	881.44	788.24
17.	Kerala	255.82	267.47
18.	Ladakh***	-	-
19.	Madhya Pradesh	1355.98	1602.15
20.	Maharashtra	2516.25	2209.32
21.	Manipur	24.43	23.03
22.	Meghalaya	85.86	91.30
23.	Mizoram**	86.03	84.24
24.	Odisha	279.85	264.90
25.	Punjab	43.44	44.06
26.	Rajasthan	202.98	251.23
27.	Sikkim	95.77	67.85
28.	Tamil Nadu	187.07	115.01
29.	Telangana	49.66	167.40
30.	Tripura**	134.94	165.94
31.	Uttar Pradesh	957.57	529.94
32.	Uttarakhand	360.91	354.28
33.	West Bengal	289.31	137.20

* These States/UTs have reported that their State Plan Budget has not reduced due to allocation of CAMPA fund

**Includes salary, establishment expenses etc.

***Ladakh is newly formed UT

मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *203

15.03.2021 को उत्तर के लिए

वनरोपण के इतर गतिविधियों के लिए काम्पा निधि का उपयोग किया जाना

***203. श्री अनिल बलूनी:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण संबंधी निधि का उपयोग राज्यों द्वारा वनरोपण से इतर अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या काम्पा निधि के आबंटन के कारण राज्यों के वन विभाग के बजट को घटा दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'वनरोपण के इतर गतिविधियों के लिए काम्पा निधि का उपयोग किए जाने' के संबंध में श्री अनिल बलूनी द्वारा दिनांक 15.03.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *203 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): प्रतिपूरक वनीकरण कोष (सीएएफ) अधिनियम, 2016 के तहत गठित संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा सीएएफ अधिनियम के अधीन स्थापित अपने राज्य कोषों के उपयोग के लिए वार्षिक प्रचालन योजनाएं (एपीओ) तैयार की जाती हैं। इन वार्षिक प्रचालन योजनाओं को सीएएफ अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है। सीएएफ नियम, 2018 के नियम 5 (2), (3) और (4) और नियम 6 (क) और (ख) में अनुमेय एवं गैर-अनुमेय कार्य-कलापों का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, राज्य की काम्पा निधियों का उपयोग मुख्य रूप से वनों एवं बागानों के पुनरूज्जीवन एवं संरक्षण, वनों में वृक्ष संवर्धन कार्य-कलापों, दावानल निवारण और नियंत्रण, वनों मे मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, वन्यजीव पर्यावासों के सुधार आदि के अलावा वनों एवं वन्यजीवों से संबंधित बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, संबंधित कार्मिकों के क्षमता संवर्धन, राज्य प्राधिकरण के आवर्ती/अनावर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाता है। सीएएफ नियम, 2018 के तहत, गैर-अनुमेय कार्य-कलापों को भी सूचीबद्ध किया गया है और उनमें वेतन और भत्ते के भुगतानों पर होने वाले व्यय, राज्य वन विभाग के अधिकारियों के लिए वाहनों या स्टाफ कारों की खरीद, वन रेंज अधिकारियों से ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए आवासीय तथा कार्यालय भवनों का निर्माण, विदेशी दौरों का आयोजन, राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन से संबंध न रखने वाली कानूनी सेवाओं के लिए भुगतान आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों के अलावा, चूंकि प्रतिपूरक वनीकरण (सीएएफ) अधिनियम, 2016 को अधिनियमित करने का उद्देश्य वृक्षों, वन-भूमियों, वन्यजीवों और पारिस्थितिकीय सेवाओं में होने वाली क्षति की पूर्ति करना है, अत: राज्यों के वन मंत्रियों की क्रमश: 29.08.2019, 30.11.2019 और 17.08.2020 को आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों तथा दिनांक 22.10.2020 के अ.शा. पत्र सं. एनए-1/47/2020-एनए के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए परामर्शी में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य की निधि की 80% धनराशि का उपयोग वन और वन्यजीवों के विकास से संबंधित कार्यकलापों के लिए किया जाना चाहिए और केवल शेष 20% धनराशि का उपयोग वनों और वन्यजीवों से संबंधित अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण और क्षमता संवर्धन के लिए किया जाना चाहिए।

(ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक गठित 33 राज्य प्राधिकरणों से दिनांक 12.03.2021 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वन विभाग के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना बजट में प्रतिपूरक वनीकरण निधि के तहत किए गए आवंटन के कारण कमी नहीं की गई है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष (2020-21) में कुछ राज्यों में राज्य योजना बजट के तहत किया गया आवंटन (सीएएफ के तहत किए गए आवंटन को छोड़कर) अपेक्षाकृत कम है, जबकि अन्य राज्यों में यह गत वर्ष (2019-20) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। इसका ब्यौरा **अनुबंध** में संलग्न है।

****

'वनरोपण के इतर गतिविधियों के लिए काम्पा निधि का उपयोग किए जाने' के संबंध में श्री अनिल बलूनी द्वारा दिनांक 15.03.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *203 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

करोड़ रूपए में

क्रम सं.	राज्य प्राधिकरण	राज्य योजना बजट (काम्पा बजट को छोड़कर)	
		2019-20	2020-2021
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह *	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	129.86	78.60
3.	अरुणाचल प्रदेश	14.84	6.27
4.	असम	188.51	186.16
5.	बिहार	643.87	450.00
6.	चंडीगढ़*	-	-
7.	छत्तीसगढ	855.16	921.29
8.	दादरा और नगर हवेली** दमन और दीव	39.17	36.10
9.	दिल्ली	71.00	48.71
10.	गोवा**	102.95	137.24
11.	गुजरात**	1374.60	1148.46
12.	हरियाणा	135.40	145.77
13.	हिमाचल प्रदेश	158.45	255.46
14.	जम्मू और कश्मीर*	-	-
15.	झारखंड	453.31	371.00
16.	कर्नाटक	881.44	788.24
17.	केरल	255.82	267.47
18.	लद्दाख ***	-	-
19.	मध्य प्रदेश	1355.98	1602.15
20.	महाराष्ट्र	2516.25	2209.32
21.	मणिपुर	24.43	23.03
22.	मेघालय	85.86	91.30
23.	मिजोरम **	86.03	84.24
24.	ओडिशा	279.85	264.90
25.	पंजाब	43.44	44.06
26.	राजस्थान	202.98	251.23
27.	सिक्किम	95.77	67.85
28.	तमिलनाडु	187.07	115.01
29.	तेलंगाना	49.66	167.40
30.	त्रिपुरा **	134.94	165.94
31.	उत्तर प्रदेश	957.57	529.94
32.	उत्तराखंड	360.91	354.28
33.	पश्चिम बंगाल	289.31	137.20

*इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उनकी राज्य योजना बजट में काम्पा निधि के आवंटन के कारण कमी नहीं की गई है।

**इसमें वेतन, स्थापना व्यय आदि शामिल हैं।

***लद्दाख नवगठित संघ राज्य क्षेत्र है।

श्री अनिल बलूनी: उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि CAMPA Fund का उपयोग गैर-वानिकी कार्यों में न हो सके, इसके लिए क्या CAMPA guidelines में संशोधन पर कोई विचार किया जा रहा है या किया जा सकता है?

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, जैसा मैंने पहले उत्तर में भी कहा था कि जैसे हमारे ध्यान में आया कि कैम्पा के लिए एक ऐसा प्रोसेस तय किया गया है कि हर राज्य अपना annual plan बना कर हमारे यहाँ भेजेगा, उस पर सामूहिक चर्चा होगी और उसके अनुसार उसको मंजूरी मिलेगी। लेकिन जब यह देखा गया कि कुछ राज्य गैर-वानिकी काम के लिए ज्यादा पैसा बता रहे हैं, तो हमने सबको एक डायरेक्शन भेजी है कि 80 फीसदी afforestation और water and fodder augmentation - यह उसी का हिस्सा है, उसके लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि प्राणी बाहर क्यों आते हैं, जब जंगल में खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तब वे बाहर आते हैं, यह मूल tendency है। इसलिए जंगल में खाना और पानी अच्छी तरह से पैदा हो, वहाँ पेड़ और हरियाली अच्छी रहे, इसके लिए इस बार LiDAR technology. का उपयोग करके, सर्वे करके, हर राज्य के एक जंगल में हम पूरा step-by-step LiDAR system से उसका watershed development करेंगे, ताकि वहाँ का पानी वहीं रहे और वह जंगल के काम आये। यह पहला मुद्दा है।

दूसरा, गैर-वानिकी काम न हों, इसके लिए हमने राज्यों को भी कहा है कि आप बजट कम कैसे करते हैं - कैम्पा का पैसा आया, तो बजट कम कर दिया, तब बोला गया कि आपके पास कैम्पा का पैसा है। हमने जानकारी माँगी, तो पता चला कि 18 राज्यों ने बजट थोड़ा कम किया है और 14 राज्यों ने बढ़ाया है। जिन्होंने बढ़ाया है, उनको मैं बधाई दूँगा, लेकिन जिन्होंने नहीं बढ़ाया, उनको यह भी कहना चाहूँगा कि इस तरह से रास्ता नहीं निकलेगा। इसमें फाइनेंस कमीशन ने भी, 15वें वित्त आयोग ने भी..

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, प्लीज़।

श्री प्रकाश जावडेकर: मैं समझ गया। सर, इसमें 15वें वित्त आयोग ने भी 10 फीसदी weightage दिया है और उसका भी खयाल राज्यों को रखना चाहिए।

श्री अनिल बलूनी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि CAMPA Fund द्वारा कितने क्षेत्रफल में वनों का विस्तार हुआ है और क्या सख्ती के साथ इसकी समीक्षा की जाती है?

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, यह सजेशन भी है और अच्छा प्रश्न भी है। हम इसमें regular monitoring करते हैं। अब हम एक नये तरह की monitoring शुरू कर रहे हैं कि कैम्पा के एवज़ में जहाँ वन बनेगा, उसके coordinates लेकर उसकी आज की स्थिति क्या है और हर साल जंगल

कैसे बढ़ रहा है, यह देखा जायेगा और वह public domain में रखा जायेगा। इस स्कीम के लिए हम अभी काम कर रहे हैं।

DR. FAUZIA KHAN: Sir, with your permission, I would like to put this question to the hon. Minister. Speaking of afforestation, we spend such a lot of money on planting trees through various schemes, whether it is CAMPA or any other fund. After all, it is the taxpayers' money. Many of these trees are not visible because many a time they are planted where there is no water.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I would like to ask the Minister whether there is a mechanism to know how many trees were planted, how many have survived and will there be an audit where you would place in the public domain details like how many trees were planted and how many have survived in various regions?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, the hon. Member has raised a very important question. Let me assure you that we are creating a mechanism of continuous audit where how the plants are growing, how many have survived, all this, will be mapped and put up on public domain because that is the best system of audit that we can have.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, my question was exactly the same as Dr. Fauzia Khan has asked. I would ask only one question then. The Minister has said that he would be putting it up in the public domain. So, when is that expected? Now technology has reached such a level that it can all be put under the GPS. So, it needs to be in public domain. When can we expect that to happen?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, preparation for declaration of this scheme is on and as soon as it happens, we would declare it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 204; Shri Vishambhar Prasad Nishad. इस सवाल के बारे में माननीय कोयला मंत्री जी का पत्र आया कि चूँकि यह सवाल वित्त विभाग से संबंधित है, इसलिए इसका जवाब वित्त विभाग के माननीय मंत्री देंगे। विशम्भर प्रसाद जी, आप अपना पहला supplementary question पूछिए।